

क्राइम ब्रांच क्रिकेट सट्टा किंग संतोष को लाई दिल्ली से ग्वालियर, पूछताछ शुरू

दबंग रिपोर्टर » ग्वालियर

क्रिकेट सट्टारियों का सरगना सट्टा किंग संतोष घुरैया को क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा है। वह दुबई भागने की तैयारी में था। पुलिस उसे लेकर सोमवार सुबह ग्वालियर पहुंच गई है। सट्टे की काली कमाई से उसने ग्वालियर के अलावा नोएडा, दिल्ली, गोवा व विदेश तक में प्रॉपर्टी खरीदी है। यह सूचना पुलिस को मिली है और पुलिस इस आधार पर उससे पूछताछ कर रही है। पहले भी सोशल मीडिया पर सट्टा किंग के विदेशों में अत्याशी करने के फोटो वायरल हो चुकी हैं। अभी आईपीएल के सीजन में करीब एक दर्जन सट्टारिए

संतोष की गैंग के पकड़े गए थे। यह ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का मास्टर माइंड है।

शहर का क्रिकेट सट्टा सरगना संतोष घुरैया को पुलिस ने रविवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। संतोष दुबई भागने की कोशिश में था। पकड़े गए सट्टा सरगना पर विगत माह इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग मैचों के दौरान तीन मामले गैबलिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। सट्टा सरगना के एक दर्जन से अधिक एजेंट शहर में सट्टा लगवाते हुए पकड़े गए थे। इन सट्टा एजेंटों पर कार, मोबाइल व लाखों रुपए के साथ ही करोड़ों के सट्टा कारोबार के सबूत मिले थे।

एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि गत शाम को सूचना मिली थी कि सट्टा सरगना संतोष



सट्टोरिए को लेकर ग्वालियर पहुंच गई है। टीम ने सट्टा सरगना संतोष घुरैया को लगभग डेढ़ साल पूर्व एसएसपी अमित सांघी के लुक आउट नोटिस पर दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा था।

तब भी उसे ग्वालियर लाया गया लेकिन उसे ग्वालियर लाने के बाद ही चार घंटे में कोर्ट में पेश कर छोड़ दिया गया था। उस समय एसएसपी अमित सांघी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। पर इस बार पुलिस का दावा है कि वह इतनी आसानी से नहीं छूट पाएगा।

संतोष घुरैया के द्वारा सट्टा कारोबार से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित किए जाने की खबर पुलिस के पास है। संतोष की दिल्ली, नोएडा, गोवा सहित विदेश में भी संपत्ति होने की सूचनाएं हैं। जिसके संबंध में पुलिस संभवतः उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। विगत वर्ष संतोष को पुलिस ने रिमांड पर लिए बिना ही छोड़ दिया था।



योग एवं ध्यान प्रशिक्षण शिविर संपन्न

इंदौर » दबंग रिपोर्टर

पम्ब गुजराती विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आयोजित 15 दिवसीय योग एवं ध्यान प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में प्रशिक्षणाथियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजित प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह प्रभारी प्राचार्य डॉ. किरण दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. रश्मिकांत सचंबी, योग गुरु अनीता शर्मा एवं वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी किशन ओझा

के आतिथ्य में सम्मन हुआ। इस मौके पर योग गुरु अनीता शर्मा को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षणाथियों द्वारा योग की सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। छात्र प्रसाद नेवे ने इस 15 दिवसीय शिविर का अनुभव साझा किया। अतिथियों का स्वागत डॉ. ज्योति सिंह, सचिन मालवीय, अक्षित यादव, रितिक कुर्मी ने किया। संचालन राहुल दांगी ने किया एवं आभार प्रदर्शन शिवानंद चौर ने किया।

सार.समाचार

बाइक की टक्कर से किशोर घायल

ग्वालियर। तेज रफ्तार आ रहे बाइक सवार ने लापरवाही से चलाते हुए एक किशोर को टक्कर मार दी। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के गुप्ता धर्मशाला के पास की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद घायल किशोर को उपचार के लिए भेजकर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया निवासी 14 वर्षीय ऋषभ शर्मा पुत्र संदीप शर्मा छात्र है और किसी काम से जा रहा था। अभी वह गुप्ता धर्मशाला के पास पहुंचा ही था कि तभी तेज रफ्तार आ रहे बाइक क्रमांक एमपी 07एमएम 2463 के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपी चालक भाग निकला। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किशोर को उपचार के लिए भर्ती कराकर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त तक

ग्वालियर। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 11 से 17 अगस्त 2022 तक चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान के लिये जिले की रणनीति तैयार की जाए। ग्वालियर जिले में 3 लाख 50 हजार झण्डे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एडीएम श्री इच्छित गढ़पाले की अध्यक्षता में तथा ग्रामीण क्षेत्र में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सीईओ जिला पंचायत श्री आशीष तिवारी की अध्यक्षता में कोर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है।

शासकीय भूमि पर अवैध होर्डिंग, 2 लाख से अधिक का जुर्माना

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा आकाश इंस्टीट्यूट्स, द्वितीय एवं तृतीय तल, एस.पी. टॉवर एचडीएफसी बैंक के पास सिटी सेंटर द्वारा शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग लगाये जाने पर दो लाख दो हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत आकाश इंस्टीट्यूट्स द्वारा विनय नगर सेक्टर 4 बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने बहोड़पुर पर शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध करित करने को श्रेणी में आता है। अतः आकाश इंस्टीट्यूट्स 2 लाख 2 हजार 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं 'यदि सात दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री तोमर के शहर में 13 घंटे से बिजली गुल, गर्मी से लोग बेहाल

दबंग रिपोर्टर » ग्वालियर

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के शहर ग्वालियर में पाँच कालोनियों में 13 घंटे से बिजली गुल है। सिटी सेंटर के अनुपम नगर एक्सटेंशन-2, पंचशील सोसायटी सहित कई इलाकों में लोगों की रात आँखों में कटी है। लोग इस उमस भरी गर्मी में पसीने से तरबतर होते रहे हैं। लोग बिजली कंपनी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता परेशान है, वहीं जिम्मेदार अफसर या तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं और उठा भी रहे हैं तो फ्रेन की व्यवस्था करने का बहाना बना रहे हैं।

सिटी सेंटर का शूमार शहर की पाँच कालोनियों में होता है। इस इलाके से सरकार को सबसे अधिक टैक्स तो मिलता ही है साथ ही



यहां से बिजली बिल की भी लगभग शत प्रतिशत वसूली होती है। इसके बाद भी यहां की जनता को घंटों बिजली समस्या झेलना पड़ती है। बीते रोज हुई मामूली बारिश के बाद रात में सिटी सेंटर के अनुपम नगर एक्सटेंशन-2, पंचशील सोसायटी सहित कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। लोगों ने बिजली कंपनी के दफ्तर में फोन लगाया तो बताया गया कि फॉल्ट है कुछ देर में सही हो रहा है। पूरी रात कर्मचारी यहीं बहाना बनाते रहे, लेकिन बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हुई। लोग रात भर पसीने से तरबतर होते रहे।

लोगों को उम्मीद थी कि चलो रात में न सही सुबह तो बिजली आ जाएगी, लेकिन जब सोमवार को सुबह तक भी बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जब फोन लगाने शुरू किए तो सिटी सेंटर जेन के एई अरुण कुमार शर्मा और डीजीएम नीतिन मांगलिक ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। जिन लोगों के फोन इन जिम्मेदारों ने उठाए भी तो उनको रात से यही बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में खराबी आई है। उसकी रिपेयरिंग के लिए क्रेन की व्यवस्था की जा रही है। बिजली कंपनी साल भर मेटेंसेस के नाम पर बिजली कटौती करती है। इसके बाद भी मानसून सीजन में मामूली बारिश होते ही पूरे मेटेंसेस की पोल खुल जाती है और लोगों को घंटे बिजली समस्या का सामना करना पड़ता है।

अवैध शराब बेचने पर आरोपी को 7 माह का सश्रम कारावास

ग्वालियर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर ने प्लास्टिक की कट्टी में भरकर शराब विक्रय करने वाले आरोपी राम उर्फ रामकुमार जाटव को भादवी की धारा 49 (क) में दोषी पाते हुए 7 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की तर्फ से पेशी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभय प्रताप सिंह राठौर ने

घटना के बारे में बताया कि पुलिस को ग़रत के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक की कट्टी में शराब की बिक्री करने की फिराक में खड़ा हुआ है। सूचना की तस्वीर के लिए पुलिस बल मुखबिर द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में सफेद प्लास्टिक की कट्टी लिए हुए खड़ा था, जो पुलिस को देखकर चलने लगा। पुलिस ने उसे भागते देखा तो घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उसके हाथ में ली गई कट्टी को खोलकर देखा तो उसमें जहरीली शराब जैसा पदार्थ भरा हुआ था। जिसे सूंघने पर तीखी एवं जहरीली गंध आना महसूस हो रही थी। इस पर आरोपी राम उर्फ रामकुमार से शराब रखने व बेचने का लाइसेंस मांगने पर ना होना बताया था। जिस पर उक्त व्यक्ति पर धारा 49 (क) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय

के समक्ष पेश किया गया। आरोपी ने बचाव में तर्क दिया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। शराब बेचे हुए उसे नहीं पकड़ गया है, लेकिन पुलिस ने जल्दी दिखा दी। ऐसे में उसे कम से कम सजा दी जाए। अभियोजन ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। आरोपी नरो का कारोबार करता है। समाज में अच्छा संदेश देने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद सात माह की सजा दी।

बिल पत्र का वृक्ष गिरा तो उस स्थान पर की शिवलिंग की स्थापना



गौतमपुरा » दबंग रिपोर्टर

अतिप्राचीन बिल पत्र का वृक्ष सूखकर गिरने के बाद उसी स्थान पर नागरिकों ने नर्मदेश्वर महादेव के रूप में शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा की। मिली जानकारी अनुसार फतेहाबाद बाजार स्थित पांडुरंग मंदिर के बाहर अति प्राचीन बिल पत्र का पेड़ सुखने से टूट गया था, मोहल्लेवासियों ने उसके स्थान पर शिवजी को विराजित करने का



निर्णय लिया। सभी ने मिलकर पंडित कुलदीपक शर्मा को इस बारे में बताया। इसके बाद सभी ने तय किया कि नर्मदाजी से शिवलिंग लाकर उसकी स्थापना बिल पत्र के वृक्ष के स्थान पर की जाएगी। मोहल्लेवासियों के प्रयासों से यहां नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना के लिए दो दिवसीय प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में भगवान का, जलाधिवास, शयनाधिवास, पुष्पाधिवास, हवन-पूजन के साथ शिवजी की स्थापना की गई। पं. अर्पण तिवारी, पं. मुकेश तिवारी व पं. कुलदीपक शर्मा के सान्निध्य में प्राण प्रतिष्ठा की गई। महोत्सव के अंतिम दिन महाआरती व महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी सत्यनारायण शर्मा, देवेन्द्र शर्मा, अभिजीत शर्मा, घनश्याम शर्मा, रविन्द्र शर्मा आदि के अलावा बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे।

बैंच पर बैठते ही अंधेड़ की मौत

ग्वालियर। बैंच पर बैठते ही एक अंधेड़ की मौत हो गई। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में सोमवार की सुबह की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मर्ग कायम कर लिया है। फिलहाल पता नहीं चला है कि मृतक कौन है और कहाँ का रहने वाला है। पड़ाव थाना प्रभारी विवेक अष्टाना ने बताया कि सोमवार की सुबह अंबेडकर पार्क के चौकीदार ने सूचना दी थी कि एक अंधेड़ पैदल चलकर आया और पार्क की बैंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी नजर पड़ी तो वह अथलेटा नजर आया। उसकी हालत ठीक नहीं दिखने पर वह उसके पास पहुंचा, तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मर्ग कायम कर लिया है। मृतक के पास कोई दस्तावेज नहीं होने पर पता नहीं चला है कि वह कहाँ का रहने वाला है। फिलहाल उसकी शिनाख्ती के लिए शहर के साथ ही आस-पास के जिलों को सूचना दे दी है।

टंकी गिरने से पेयजल का संकट



महू » दबंग रिपोर्टर

सोमवार शाम सारवन मोहल्ला स्थित वर्षों पुरानी पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। जिस कारण अब लोगों को पानी की आपूर्ति में

परेशानी आ रही है। अब लोगों को कुएं से पानी भरना पड़ रहा है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है।

है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं वाला होता है। यानी पूर्ण होता है। इसलिए इसे पूर्णिमा कहा गया है। इसलिए इस दिन भावान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। महर्षि वेद व्यास जी की भी इसी दिन तिथि है। इसलिए व्यास पूजा की जाती है। सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त तक रहेगा। सावन का पहला सोमवार 18

जुलाई को है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित रहता है। महिलाएं पति की लंबी उम्र की मनोकामना करने, अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति तथा सुखद भविष्य की कामना के लिये सावन के सोमवार को व्रत करती हैं। पूरे महीने कांवाड़ कांवाड़ लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित करते हैं।

गुरु पूर्णिमा 13 को, 14 से श्रावण मास, शिव मंदिरों में तैयारी शुरू

ग्वालियर » दबंग रिपोर्टर

बाबा बफानों की यात्रा के साथ ही तीज त्योहारों ने भक्तों को भक्ति में लीन कर दिया है। 13 जुलाई को गुरुपूर्णिमा है तो 14 जुलाई से सावन के महीना भक्तों को शिवभक्ति में लीन कर देगा। गुरुपूर्णिमा पर गिरांज जी महाराज की परिक्रमा के लिए मथुरा के लिये ट्रेनें फुल हो चुकी हैं तो सावण मास में भक्तों को दर्शन कराने भोलेनाथ के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 13 जुलाई को पूर्णिमा तिथि रहेगी। स्कंद पुराण के अनुसार इस तिथि पर भगवान शिव-पार्वती की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन गुरु पूर्णिमा पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर में हर महीने आने वाली पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि होती

है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं वाला होता है। यानी पूर्ण होता है। इसलिए इसे पूर्णिमा कहा गया है। इसलिए इस दिन भावान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। महर्षि वेद व्यास जी की भी इसी दिन तिथि है। इसलिए व्यास पूजा की जाती है। सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त तक रहेगा। सावन का पहला सोमवार 18

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत कार्यालय: खसरा नं. 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा इन्दौर-452020, मध्य प्रदेश, भारत
दूरभाष: (+91 731) 243 9999, ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in वेबसाइट: www.yellowdiamond.in

वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी हेतु सूचना

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 3 अगस्त, 2022 को दोपहर 3:30 बजे आईएसईटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और भारतीय प्रतिवृत्ति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में) विनियम, 2015, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 दिनांकित के साथ पंडित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 सेबी के द्वारा जारी (सामूहिक रूप से परिपत्रों के रूप में संदर्भित), एजीएम को बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी। सदस्य बीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकेंगे। संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज शामिल है जो कि कंपनी के शेयर धारकों को उनके ईमेल में 09 जुलाई 2022 को भेज दिए गए हैं जिनके ई-मेल कंपनी / डिजिटल रिपोर्टिंग पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in पर स्टॉक एक्सचेंज यानि बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी साथ ही सेंट्रल डिजिटल रिपोर्टिंग सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी। वार्षिक रिपोर्ट की हार्डकॉपी सदस्यों के निवेदन पर उन्हें भेजी जाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 सहपरिचित कम्पनियों (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2014 के तहत सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रॉंसफर खाते गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई, 2022 से बुधवार, दिनांक 03 अगस्त, 2022 (दोनों दिनांक सहित) कम्पनी की वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश गुप्तता हेतु (यदि घोषित होता है) बन्द रहेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के तहत, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। एजीएम (रिमोट ई-वोटिंग) के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा सेंट्रल डिजिटल रिपोर्टिंग सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम की सूचना पत्र में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित सूचना के साथ-साथ यूजर आईडी एवं पासवर्ड सहित होने वाली एजीएम की नोटिस सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया है जिसकी ईमेल आईडी कंपनी/डिजिटल रिपोर्टिंग के साथ पंजीकृत है। रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2022 प्रातः 9:00 बजे से प्रारंभ होगी और मंगलवार, दिनांक 2 अगस्त, 2022 को सायं 5:00 बजे समाप्त हो जावेगी। उपर्युक्त दिनांक व समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वे सदस्य जिनका नाम बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2022 (Cut-off Date) को रजिस्टर ऑफ मेम्बर / बेंचिफिसियल आनर्स में है, उन्हें ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अथवा बैठक में ई वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना पत्र के प्रेषित करने के बाद और बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2022 (Cut-off Date) को शेयर धारण करके कम्पनी का सदस्य बनता है, वह भी रिमोट ई-वोटिंग, ई-वोटिंग और वरुअल मिटिंग में शामिल होने के निर्देशों का पालन करे। वो सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है वे दोबारा एजीएम के समय ई वोटिंग करने के लिए अधिकारी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, मतदान की सुविधा ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा कंपनी के सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोटिस और विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग, वरुअल मीटिंग में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग अथवा रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evotingcdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राक्षस दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिजिटल रिपोर्टिंग सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मेराधन प्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evotingcdslindia.com पर ईमेल करें या 1800 22 55 33 पर कॉल करें। कृते प्रताप स्नैक्स लिमिटेड (हस्ताक्षर) ओम प्रकाश पाण्डे

स्थान: इन्दौर दिनांक: 11, जुलाई 2022 कंणी सचिव और अनुपालन अधिकारी